न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

अपील प्र0सं0 21/2022

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

अपीलांट

बनाम

1. बंतासिंह पुत्र गुरमेलसिंह
2. गुरसेवकसिंह
3. जगसीरसिंह

पिसरान श्री नायबसिंह

4. सतपालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह

अकवाम जटसिख सकनाए 6 पी एस तहसील रायसिंहनगर।

5. कलवन्तसिंह
6. सुखविन्द्रसिंह

पिसरान गुरचरणसिंह जाति रायसिख सकनाए 7 पी एस तह0 रायसिंहनगर।

7. अमृतपालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 6 पी एस तहसील रायसिंहनगर

8. हरमेहन्द्रसिंह पुत्र तेजासिंह जाति जटसिख निवासी 6 पी एस तह0 रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार (राजस्व) मुकलावा दिनांक 18–09–2015 प्रकरण सं0 15/14

उपस्थित : 1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से
2. श्री तेजासिंह संधू, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस की ओर से।

आदेश **दिनांक : 25.03.2022**

प्रस्तुत अपील कलक्टर महोदय के आदेश कमांक सीजी/वाचक/कार्य विभाजन/2022/36 दिनांक 14–1–22 के द्वारा रायसिंहनगर तहसील का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को दिये जाने के कारण पत्रावली अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर के न्यायालय से दिनांक 10–2–2022 को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है।

स्टेट द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टस के खिलाफ हस्तगत अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार है कि वीरसिंह पुत्र कर्मसिंह द्वारा दिनांक 27–1–2000 को चक 6 पी एस के मु0 नं0

[Type text]

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

49 के कि0 नं0 9 सालम, मु0 नं0 7 के कि0 नं0 15 से 17 सालम, कि0 नं0 18 की 10 बिस्वा, कि0 नं0 23 के 10 बिस्वा, कि0 नं0 24–25 सालम, कुल 7 बीघा नहरी भूमि की वसीयत गुरसेवकसिंह व जगसीरसिंह पिसरान नायबसिंह रेस्पो0 सं0 2 व 3 व चक 6 पी एस के मु0 नं0 52 के कि0 नं0 1 से 3 व 9 सालम मु0 नं0 7 के कि0 नं0 23 के 10 बिस्वा, कि0 नं0 19 ता 22 सालम, कि0 नं0 18 के 10 बिस्वा, कि0 नं0 13 के 10 बिस्वा व कि0 नं0 14 सालम कुल 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि की वसीयत रेस्पोडेन्ट बंतासिंह के नाम से तथा चक 6 पी एस के मु0 नं0 49 के कि0 नं0 12 व 19 सालम व मु0 नं0 5 के 12 बीघा 10 बिस्वा कुल 14 बीघा 10 बिस्वा नहरी भूमि की वसीयत बलविन्द्रसिंह व लखविन्द्रसिंह विसरान सोहनसिंह रेस्पोडेन्ट के नाम ब.हि.ब. तथा चक 6 पी एस के मु0 नं0 50 के कि0 नं0 2 से 4, 7 से 9 व मु0 नं0 45 के कि0 नं0 22 से 24 के 10 बिस्वा कुल 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि की वसीयत हरमेन्द्रसिंह के नाम से तथा चक 6 पी एस मु0 नं0 48 के कि0 नं0 1–2 सालक, व कि0 नं0 12 के 10 बिस्वा, कि0 नं0 4 के 10 बिस्वा, कि0 नं0 9–10 सालम, मु0 नं0 49 के कि0 नं0 2 ता 8 , 13 ता 15 व 18 कुल 16 बीघा नहरी भूमि की वसीयत सुखविन्द्रसिंह व चक 6 पी एस के मु0 नं0 17 कि0 नं0 1 ता 11 सालम, कि0 नं0 12 के 10 बिस्वा कुल 11 बीघा 10 बिस्वा की वसीयत कलवन्तसिंह के नाम से व चक 6 पी एस के मु0 नं0 50 के कि0 नं0 12,13,14 व 16 के 10 बिस्वा, कि0 नं0 17 से 19, 22 से 25 मु0 नं0 59 के कि0 नं0 2 सालम, कि0 नं0 3–4–8–9 प्रत्येक में 10–10 बिस्वा कुल 13 बीघा 13 बिस्वा नहरी भूमि की वसीयत कलवन्तसिंह पुत्र गुरचरणसिंह व चक 6 पी एस के मु0 नं0 17 के कि0 नं0 12 के 10 बिस्वा व कि0 नं0 13 ता 25 सालम कुल 13 बीघा 10 बिस्वा नहरी भूमि की वसीयत सतपालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह के नाम से तहरीर करवा कर राजेन्द्रकुमार गोयल एडवोकेट से तस्दीक करवा दी और श्री वीरसिंह की मृत्यू के बाद रेस्पोडेन्ट सतपालसिंह के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के यहॉ प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयत दिनांक 27–1–2000 की पालना में इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 19–9–2015 को पारित करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि से परे हठकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के विपरीत जाकर पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन नहीं किया और न ही रिपोर्ट प्राप्त की गई। मृतक वीरसिंह की वसीयत दिनांक 27–1–2000 में वर्णित भूमि वसीयत के वक्त सीलिंग अधिग्रहित भूमि थी तथा अपील विचाराधीन थी। जिस समय मृतक वीरसिंह द्वारा वसीयत की गई थी, उस समय वसीयत में वर्णित भूमि चक 6 पी एस के मु0. नं0 17 की भूमि नत्थुराम सीलिंग आवंटी के नाम से थी। इसी चक के मु0 नं0 50 की भूमि भैराराम सीलिंग आवंटी के नाम से थी तथा इसी चक के मु0 नं0 07 की भूमि मंगलाराम सीलिंग आवंटी के नाम से थी तथा इसी चक के मु0 नं0 19 की भूमि रामनारायण के नाम से आवंटित थी व इसी चक के मु0 नं0 5–1–7–8–17–46–48–49–50 व 62 की भूमि कालासिंह, महेन्द्रसिंह, रेशमसिंह,

Scanned with OKEN Scanner

लालसिंह व भूपेन्द्रसिंह, मनजीतसिंह पिसरान हरनेकसिंह व वीरसिंह पुत्र कर्मसिंह के नाम से भूमि थी व चक 6 पी एस के मु0 नं0 45 की भूमि सुखदेवकौर के नाम से थी जिसपर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में स्वंय अर्जित भूमि के संबंध में कोई सबूत नहीं लिया गया है। वसीयत करते समय अपीलाधीन भूमि वसीयतकर्ता वीरसिंह के नाम से नहीं थी। इस कारण वीरसिंह को वसीयत करने का अधिकार नहीं था। अस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया की पालना नहीं की गई है, न ही गवाहों एवं वसीयत प्राप्तकर्तागण का परीक्षण बतौर साक्ष्य किया गया है। इस प्रकार राज्य पक्ष द्वारा निवेदन किया गया है कि वसीयत प्रकरण वीरसिंह पुत्र कर्मसिंह के सन्दर्भ में सतपालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह निवासी 6 पी एस के मु0 नं0 19/14 में पारित निर्णय दिनांक 18–9–15 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

पत्रावली स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड पत्रावली के साथ संलग्न है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस अपील मीमो पर आधारित करते हुए कहा है कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन नहीं किया गया है और न ही रिपोर्ट प्राप्त की गई है। मृतक वीरसिंह की वसीयत दिनांक 27–1–2000 में वर्णित भूमि वसीयत के वक्त सीलिंग अधिग्रहित भूमि थी तथा अपील विचाराधीन थी। जिस समय मृतक वीरसिंह द्वारा वसीयत की गई थी, उस समय वसीयत में वर्णित भूमि चक 6 पी एस के मु0. नं0 17 की भूमि नत्थुराम सीलिंग आवंटी के नाम से थी। इसी चक के मु0 नं0 50 की भूमि भैराराम सीलिंग आवंटी के नाम से थी तथा इसी चक के मु0 नं0 07 की भूमि मंगलाराम सीलिंग आवंटी के नाम से थी तथा इसी चक के मु0 नं0 19 की भूमि रामनारायण के नाम से आवंटित थी व इसी चक के मु0 नं0 5–1–7––8–17–46–48–49–50 व 62 की भूमि कालासिंह, महेन्द्रसिंह, रेशमसिंह, लालसिंह व भूपेन्द्रसिंह, मनजीतसिंह पिसरान हरनेकसिंह व वीरसिंह पुत्र कर्मसिंह के नाम से भूमि थी व चक 6 पी एस के मु0 नं0 45 की भूमि सुखदेवकौर के नाम से थी जिसपर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में स्वंय अर्जित भूमि के संबंध में कोई सबूत नहीं लिया गया है। वसीयत करते समय अपीलाधीन भूमि वसीयतकर्ता वीरसिंह के नाम से नहीं थी। इस कारण वीरसिंह को वसीयत करने का अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया की पालना नहीं की गई है, न ही गवाहों एवं वसीयत प्राप्तकर्तागण का परीक्षण बतौर साक्ष्य किया गया है। इस प्रकार वसीयत प्रकरण वीरसिंह पुत्र कर्मसिंह के सन्दर्भ में सतपालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह निवासी 6 पी एस के मु0 नं0 19/14 में पारित निर्णय दिनांक 18–9–15 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

[Type text]
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा इंतकाल सं0 379 दिनांक 21–5–16 स्वीकृत किया गया था, उसकी अपील उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के अपील प्रकरण सं012/16 राज्य बनाम बंतासिंह में दिनांक 8–4–17 को निर्णय पारित कर इंतकाल खारिज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील निष्प्रभावी होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 8–4–17 का अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील सं0 12/16 राज्य बनाम बंतासिंह वगैरा में उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 8–4–17 को पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित इंतकाल सं0 379 दिनांक 21–5–16 को सरपंच, ग्राम पंचायत 7 पी एस पंचायत समिति, रायसिंहनगर द्वारा पारित किया गया है। राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना कमांक प.6(1) राज–6/2014/पार्ट–1/16 दिनांक 22–4–16 के द्वारा नामान्तरण के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियाँ ग्राम पंचायत के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी को राजस्व लोक अदालत अभियान–2016 के दौरान उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्द्वारा प्रदान की गई थी। अधिसूचना दिनांक 15–5–16 से 30–6–16 तक प्रभाव में थी। विवादित इंतकाल सरपंच द्वारा दिनांक 21–5–16 को स्वीकृत किया गया है, जो अधिसूचना की अवधि में स्वीकृत किया गया है, जिसकी अधिकारिता सरपंच को नहीं थी। इस कारण से इंतकाल सं0 379 दिनांक 21–5–16 अपीलीय निर्णय दिनांक 8–4–17 द्वारा खारिज किया गया है।

हस्तगत अपील में उप तहसीलदार, मुकलावा के वसीयत प्रकरण सं0 19/14 में पारित निर्णय दिनांक 18–9–15 को चुनौति दी गई है। वसीयत प्रकरण में अपंजीकृत वसीयत जो वीरसिंह पुत्र कर्नसिंह द्वारा कृषि भूमि की वसीयत गुरमेलकसिंह व जगसीरसिंह पिसरान नायबसिंह, बंतासिंह पुत्र गुरमेलसिंह(पोते) बलविन्दरसिंह–लखविन्दरसिंह पिसरान सोहनसिंह (पोते) महेन्द्रसिंह पुत्र तेजासिंह, सुखविन्दरसिंह पुत्र गुरचरणसिंह, कलवन्तसिंह पुत्र गुरचरणसिंह, अमृतपालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह, सतपालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह (पोते) के पक्ष में वसीयत की गई है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 9–10–14 में वर्णित भूमि वीरसिंह पुत्र कर्नसिंह जाति जटसिख साठ 6 पी एस खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वसीयत में अंकित बाकी रकबा आराजी राज है। न्यूजन पुत्र हरी राम के नाम मु0 नं0 17 प0 सं0 157/272 इंतकाल सं0 354 दिनांक 3–8–14 से रकबा आराजी राज दर्ज है। [illegible]– मदनलाल पिसरान माईराम के नाम मु0 नं0 5 प0 नं0 158/271 इंतकाल नं0 354 दिनांक 3–8–14 से रकबा आराजी राज दर्ज है। मेरा राम पुत्र सदाराम जाति

मेघवाल के नाम मु0 नं0 50 प0 नं0 158/277 इंतकाल सं0 354 दिनांक 3–8–14 से वीरसिंह पुत्र कर्मसिंह कि0 नं0 2 ता 4 की .759 एवं कि0 नं0 12 की .063 है0 कुल .822 है0 नहरी खातेदारी दर्ज है। मंगला पुत्र बुधराम के नाम मु0 नं0 7 प0 सं0 160/271 इ0 सं0 354 दिनांक 3–8–14 से रकबा आराजी राज दर्ज है। रामनारायण पुत्र भानीराम के नाम मु0 नं0 17 प0 नं0 157/272 इंतकाल सं0 354 दिनांक 3–8–14 से आराजी राज दर्ज है। जिस समय मृतक वीरसिंह द्वारा वसीयत की गई थी, उस समय वसीयत में वर्णित भूमि चक 6 पी एस के मु0 नं0 17 की भूमि नत्थुराम सीलिंग आवंटी के नाम से थी। इसी चक के मु0 नं0 50 की भूमि भैराराम सीलिंग आवंटी के नाम से थी तथा इसी चक के मु0 नं0 07 की भूमि मंगलाराम सीलिंग आवंटी के नाम से थी तथा इसी चक के मु0 नं0 19 की भूमि रामनारायण के नाम से आवंटित थी व इसी चक के मु0 नं0 5–1–7—8–17–46–48–49–50 व 62 की भूमि कालासिंह, महेन्द्रसिंह, रेशमसिंह, लालसिंह व भूपेन्द्रसिंह, मनजीतसिंह पिसरान हरनेकसिंह व वीरसिंह पुत्र कर्मसिंह के नाम से भूमि थी व चक 6 पी एस के मु0 नं0 45 की भूमि सुखदेवकौर के नाम से थी। वसीयत करते समय अपीलाधीन भूमि वसीयतकर्ता वीरसिंह के नाम से नहीं थी। इस कारण वीरसिंह को वसीयत करने का अधिकार नहीं था। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर, मेरे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–9–15 पारित करते समय वसीयत में वर्णित भूमि की पूर्ण रूप से जॉच नहीं की गई क्योंकि जिस समय वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत की गई थी, उस समय भूमि सीलिंग में आवंटित आवंटियों के नाम से थी इसलिए अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से स्टेट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–9–15 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 25.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner